2018 एस 0 सी0 आर 0 1956

उमा पांडे का अन्य

बनाम

मुन्ना पांडे आदि

(सिविल अपील संख्या 3657/2018) बी. 9 अप्रैल 2018

(न्यायमूर्तिगण आर० के०के० अग्रवाल एवं मनोहर सप्रे)

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, धारा 100 के अंतर्गत दूसरी अपील को विधि के सारवान प्रश्न को शामिल करते हुए प्रारंभ में ही खारिज कर दी गई अपीलकर्ता/वादियो ने उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों के खिलाफ विवादित संपत्ति के बंटवारे एवं स्वयं के कब्जे हेतु वाद दायर कर किया था विचारण कोर्ट ने वाद को डिग्री कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश अपास्त फरमाया तथा उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई अपीलकर्ताओं की दूसरी अपील में स्थापित किया कि उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील को प्रारंभ में विधि का कोई सारवान प्रश्न शामिल नहीं था खारिज करके गलती की।

उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत कागज प्रदर्श–क पक्षकारों के हक में तय करने के लिए निचली अदालतों द्वारा भरोसा किया गया था। किसी भी दस्तावेज की व्याख्या जिसमें इसकी सामग्री या साक्ष्य में इसकी ग्राहयता या पक्षकारों के अधिकारों पर प्रभाव शामिल है जो धारा 100 के अंतर्गत एक विधि का सारवान प्रश्न गठित करता है।

अपील में धारा 100 के भीतर विधि के सारवान प्रश्न अथवा प्रश्नों को शामिल किया गया और इसलिए अंतिम सुनवाई के लिए वाद में उत्पन्न विधि के सारवान प्रश्न अथवा प्रश्नों को अभिधारित निर्णय को स्वीकार किया जाना आवश्यक था।

वाद में यहां कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादियों/उत्तरदाताओं में एक दस्तावेज प्रदर्श–क संलग्नक पी–1 (विशेषअनुज्ञा प्रार्थना पत्र) दाखिल किया यह दस्तावेज अधीनस्थ दोनों अदालतों के द्वारा पक्षकार उमा पाण्डेय बनाम मुन्ना पाण्डेय के अधिकारों को निर्णित करने के लिए विश्वास व्यक्त किया गया तथा मूल्यांकन किया गया विचारण न्यायालय वाद को डिक्री कर दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रदर्श–क को साक्ष्य विधि के मूल्यांकन के आधार पर पलट दिया। यह विधि प्रतिवादित सिद्धांत है कि किसी दस्तावेज जिसमें निहित वस्तु अथवा साक्ष्य में उसकी ग्राहयता अथवा पक्षकारों के अधिकारों पर उसका प्रभाव शामिल है की व्याख्या सी०पी०सी० की धारा 100 के प्रावधानों के अंतर्गत विधि का सारवान प्रश्न गठित करता है। (पैरा नम्बर 12–15) (1059– डी.जी.)

1.2 जब कभी इस प्रकार के प्रश्न द्वितीय अपील में उठाए जाते हैं तब उच्च न्यायालय को दोनों पक्षकारों के मध्य अपील को गुणदोष के आधार पर निर्णित फरमाने के लिए योग्य बनाने के क्रम में ऐसे प्रश्नों पर समीचीन विधिक सारवान प्रश्न पैदा करके यह विचार किया जाना श्रेयस्कर है। (पैरा नम्बर 16) (1059–एच)

1.3 द्वितीय अपील में निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्न पैदा होते हैं–

1. क्या प्रतिवादियों की प्रथम अपीलस्वीकार करने के प्रदर्श–क यह प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णयादेश और उसके परिणाम स्वरूप विचारण न्यायालय के निर्णय डिक्री को पलट देना तात्विक व वैधानिक है?

2. प्रदर्श–क की वास्तविक प्रकृति क्या है? क्या उसे विभाजन अभिलेख के रूप में अथवा विवादित भूमि के परिपेक्ष्य मेंपक्षकारों के मध्य पूर्व में हुए बंटवारेके तथ्य को उजागर करने वाला दस्तावेज माना जाए?

3. क्या प्रदर्श–क वादीगणो को बाध्य करता है? यदि हां तो कैसे और किस सीमा तक?

4. क्या प्रदर्श–क का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है? यदि हां तो उसका प्रभाव?

5. चूंकि प्रदर्श–क को बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य में दिया गया था अब द्वितीय अपील में इसकी ग्राहयता अथवा वैधता पर इस समय कोई आपत्ति अपीलार्थियों द्वारा उठाई जा सकती ह? ै और यदि हां तो इसका प्रभाव? (पैरा नम्बर 20) (1060–सी0 एफ 0)

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरण–

1. सिविल अपील नंबर 3657/2018 द्वितीय अपील नम्बर 255/2008 न्यायिक उच्च न्यायालयपटना के आदेश एवं निर्णयादेश दिनांक 16–07–2014 से उद्भूत/उपस्थित अधिवक्तागण मनन कुमार मिश्रा, सीनियर अधिवक्ता अखिलेश कुमार पाण्डेय, ब्रहम कुमार पाठक, सुश्री अंजुल द्विवेदी और से अपीलार्थीगण/सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (2008) 3 एस 0 सी0 आर 0।

(न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे) ने प्रार्थना स्वीकृत की।

2. यह अपील अंतिम निर्णय आदेश एवंआदेश दिनांक 16–07–2014 पारित द्वारा पटना उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील संख्या 255/2008 के विरुद्ध वादीगण द्वारा दाखिल की गई। जिसमें अपीलार्थियों द्वारा दाखिल द्वितीय अपील को उच्च न्यायालय ने प्रारंभ में ही खारिज कर दिया। एवं निर्णय आदेश व डिग्री दिनांक 14–07–2008 पारित द्वारा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज अपील संख्या 77/2005, 06/2007 जो अधीनस्थ न्यायालय पंचम गोपाल गंज वाद संख्या 21/1993 में पारित निर्णय दिनांक 12–07–2005 एवं डिक्री दिनांक 23–07–2005 से उत्पन्न हुई थी पुश्ट किया गया था, के विरूद्ध वादीगण के द्वारा दाखिल की गयी थी।

3. यह कि चूंकि अपील में स्थित विवाधक संकीर्ण परिधि में है इसलिए अपील में के तथ्य भी संक्षिप्त हैं विवाद का मूल्यांकन करेने के लिए निम्न प्रकार कथित किये गये है।

4. अपीलार्थीगण उक्त लिखित वाद में जिससे यह अपील उत्पन्न हुई है वादीगण है एवं उत्तरदातागण प्रतिवादीगण है।

5. अपीलार्थीगण एवं उत्तरदातागण एक ही परिवार के सदस्य है और परस्पर सगे सम्बन्धी है।

6. अपीलार्थीगण ने कृशि भूमि जिसे वाद पत्र की संलग्न अनुसूची मे बताया है कि बटंवारे तथा अलग अलग कब्जा प्राप्त करते हेतु एक दावा हक उप न्यायाधीष पंचम गोपाल गंज में प्रतिवादीगण के खिलाफ वाद संख्या 21/1993 दाखिल किया था।

7. अपीलार्थीगण के अनुसार वाद के पक्षकारों की विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति थी और परिवार के सदस्य होने के कारण उनको अधिकार था कि वह विाादित भूमि पर दावा करके अपने हिस्से प्राप्त कर ले, अन्य बातों के साथ साथ अपीलार्थीगण ने इस प्रकथन के आधार पर उत्तरदाता/प्रतिवादीगण के खिलाफ अपने अपने हिस्सों को प्राप्त करने हेतु विवादित भूमि के बटवारे तथा कब्जे के लिए वाद योजित किया था।

8. उत्तरदाताओं ने वाद का विरोध किया तथा अपने लिखित कथन में अपीलार्थीयों के दावे को तथ्यों तथा विधि के आधारों पर नकार दिया। दोनों पक्षकार विचारण में गये , विवाधक गठित किये गये दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी तथा मौखिक साक्ष्य भी दिया गया था।

9. विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीयो का वाद डिक्री फरमादिया उत्तरदातागण ने स्वंय को व्यथित पाया अतः प्रथम अपील दायर कर दी गयी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार की किन्तु अपीलार्थीयों के वाद को खारिज फरमा दिया। उमा पाण्डेय बनाम मुन्ना पाण्डेय

(न्यायामूर्ति अभय मनोहर सप्रे)

अपीलार्थीगण पुनः व्यथित हुए अतः उक्त आपेक्षित निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर दी गयी। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रारम्भ में ही उक्त अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा द्वितीय अपील में विधि का कोई सारवान प्रष्न अथवा प्रष्नो का

समावेष नहीं है अतः अपील प्रारम्भ में ही खारिज किये जाने योग्य है। उक्त निर्णय व्यथित वादीगण ने इस न्यायालय की विषेश अनुज्ञा प्राप्त करके वर्तमान अपील दाखिल की है।

10. अपीलार्थीगण द्वारा नियुक्त विद्धान वरिश्ठ अधिवक्ता श्री मनन कुमार मिश्रा को सुना गया। नोटिस के बावजूद उत्तरदाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ था।

11. अपीलार्थीगण के विद्धान वरिश्ठ अधिवक्ता को सुनने के पष्चात तथा वाद के रिकार्ड अभिलेख आदि का परिषीलन के बाद हम अपील को स्वीकार करने के लिए बाध्य है ताकि उच्च न्यायालय के आपेक्षित निर्णय को अपास्त कर वाद को इस न्यायालय के द्वारा यहां नीचे गठित विधि के सारवान प्रष्नों पर वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा दाखिल द्वितीय अपील को गुणदोश के आधार पर निर्णित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेशित किया जा सके।

12. हमारी अवधारण में उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील को प्रारम्भ में खारिज फरमा कर गलती की है कि उक्त अपील में विधि के कोई सारवान प्रष्न स्थित नहीं थे।

13. हमारी दृश्अि में अपील में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (एतास्मिन पष्चात संहिता के रूप में निर्दिश्ट) की धारा 100 की व्याख्या के अन्तर्गत विधि का सारवान प्रष्न स्थित था और इस कारण वाद मं स्थित विधि के सारवान प्रष्नों पर अन्तिम सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाना चाहिए थां

14. यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादीगण/उत्तरदाताओं ने एक दस्तावेज (प्रदर्ष–क) (संलग्नक पी–1 विषेश आज्ञप्त याचिका) दाखिल किया था। इस दस्तावेज पर दो अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारों के अधिकारों को निर्णित करने के लिए विष्वास व्यक्त किया तथा मूल्यांकन भी किया था। विचारण न्यायालय ने वाद को डिक्री किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के प्रर्दष–क को साक्ष्य विधि के मूल्यांकन के आधार पर इसे पलट दिया।

15. यह विधि का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि किसी दस्तावेज जिसमें उसकी अन्र्तवस्तु अथवा साक्ष्य में उसकी ग्राहयता अथवा वाद के पक्षकारों के अधिकारो पर उसका प्रभाव षामिल है की व्याख्या सी0 पी0 सी0 की धारा 100 के प्रावधानों के अन्तर्गत विधि का सारवान प्रष्न गठित करता है।

16. जब कभी ऐसा प्रष्न अपीलार्थी के अनुरोध पर द्वितीय अपील में उठाये जाते है तब उच्च न्यायालय को दोनों पक्षकारों के मध्य अपील को गुणदोश के आधार पर निर्णीत फरमाने के लिए योग्य बनाने के क्रम मं ऐसे प्रष्नों पर समीचीन विधिक सारवान प्रष्न पैदा करके यह स्वीकार किया जाना श्रेयस्कर होता है।

17. इस वाद में अपीलार्थी की द्वितीय अपील को स्वीकार किये जाने के क्रम में उच्च न्यायालय के समक्ष यह सब कारण थे क्योंकि विचारण न्यायालय ने और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने मूलवाद में स्थित विवाद को निपटाने के लिए दस्तावेज प्रदर्ष–क पर विचार किया था।

18. पूर्व में चर्चा के प्रकाष में तय उच्च न्यायालय द्वारा बताये गये कारण तथा निश्कर्शो से हम सहमत नहंी हो सकते क्योकि हमारी राय में अपीलार्थी की द्वितीय अपील को प्रारम्भ मं गलत प्रकार से खारिज किया गया है।

19. दूसरे षब्दों में उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई किया जाने वाला विधि के सारवान प्रष्न के आधार पर द्वितीय अपील को स्वीकार करने के प्रष्न का निबटारा अब हमे इस अपील को निस्तारित करते समय करना है।

20. हमारी दृश्टि में संहिता की धारा 100 के अथन्तिर्गत द्वितीय अपील विधि के निम्न लिखित सारवान प्रष्न इसके निर्णय के लिए उत्पन्न होते है–

1. क्या प्रतिवादीगण की प्रथम अपील स्वीकार करने के लिए प्रदर्ष–क पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णयादेष और उसके परिणाम स्वरूप विचारण न्यायालय का निर्णय/डिक्री को पलट देना तात्विक व वैधानिक है?

2. प्रदर्ष–क की वास्तविक प्रकृति क्या है? क्या इसे विभाजन विलेख के रूप में अथवा विवादित भूमि के परिपेक्ष्य में पक्षकारों के मध्य पूर्व मंे हुए बटवारे के तथ्य को उजागर करने वाला दस्तावेज माना जाए?

3. क्या प्रदर्ष–क वादीगणों को बाध्य करता है? और यदि हां तो कैसे और किस सीमा तक?

4. क्या प्रदर्ष–क का रजिस्टर्ड होना आवष्यक है? यदि हां तो उसका प्रभाव।

5. चूंकि प्रर्दष–क को बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य में दिया गया था, अब द्वितीय अपील में उसकी ग्राहयता अथवा वैधता पर इस समय कोई आपत्ति अपीलकर्ताओं द्वारा उठायी जा सकती है? यादि हां तो इसका प्रभाव?

21. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर अपील सफल होती है और अनुमति दी जाती है आपेक्षित निर्णय अपास्त किया जाता है हमारे द्वारा गठित विधि के सारवान प्रष्न को गुणदोश के आधार पर उसके निर्णय के लिए अपील उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेशित की जाती है।

22. तथापि हम यह स्पश्ट करते है कि हमने वाद के गुणदोश को नहीं जांचा है, उमा पाण्डेय बनाम मुन्ना पाण्डेय (न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे,जे0) उच्च न्यायालय तदानुसार अपील को गुणदोश के आधार पर हमारे किसी निर्णय से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार सख्ती से निर्णीत करेगा।

23. चूंकि अपील काफी पुरानी है इसलिए हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते है कि वह 6 माह के भीतर अधिमानतः निर्णय लें। दिव्य पाण्डेय अपील अनुज्ञात हुई।